NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 5-05-2026

विषय सूची

पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुच्छेद 24 का सहारा लिया

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसंचरण (AMOC) को स्थिर करने हेतु भू-इंजीनियरी दृष्टिकोण

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 पर उच्चतम न्यायालय

आठ राज्यों में जलाशयों के स्तर में गिरावट

आईएमएफ पेपर: भारत में डिजिटलीकरण सुधारों से एमएसएमई की उत्पादकता में सुधार हुआ।

Forest Rights Act (FRA), 2006

संक्षिप्त समाचार

रू-सोम पुल (Ru-Soam Bridges)

तंज़ानिया

आदर्श आचार संहिता (MCC)

सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरन एसिड पिलाए जाने से बचे लोगों को 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम' के दायरे में लाया

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) 2.0 दिशा-निर्देश

हँतावायरस प्रकोप

गिरमिटिया समुदाय

पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुच्छेद 24 का सहारा लिया

सन्दर्भ

- पश्चिम बंगाल के चाय बागान श्रमिकों ने श्रम अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समक्ष अनुच्छेद 24 का सहारा लेकर उठाया है।

परिचय

- श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि भारत द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय समझौतों के बावजूद श्रम अधिकारों का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन हो रहा है।
- वे भूख से मृत्यु, गंभीर कुपोषण, मजदूरी एवं बकाया का भुगतान न होना, न्यूनतम मजदूरी का अभाव तथा महिलाओं और आदिवासी श्रमिकों के साथ भेदभाव जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हैं।

अनुच्छेद 24 का प्रावधान

- अनुच्छेद 24 के अंतर्गत नियोक्ताओं या श्रमिकों के औद्योगिक संगठन किसी भी सदस्य देश के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि वह अपने क्षेत्र में अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमयों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने में विफल रहा हो।
- इस प्रतिवेदन की जाँच के लिए संचालन निकाय द्वारा तीन-सदस्यीय त्रिपक्षीय समिति गठित की जा सकती है।
- समिति अपनी रिपोर्ट में मामले के विधिक तथा व्यावहारिक पक्षों का विवरण देती है, प्रस्तुत सूचनाओं की समीक्षा करती है और अंत में सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक

वर्ष 1919 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों की व्यवस्था को बनाए रखा है और विकसित किया है।

ये मानक ऐसे विधिक साधन हैं जिन्हें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक मिलकर तैयार करते हैं और जो कार्यस्थल पर मूल सिद्धांतों एवं अधिकारों को निर्धारित करते हैं।

ये दो प्रकार के होते हैं:

अभिसमय और प्रोटोकॉल: ये विधिक रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधियाँ होती हैं, जिन्हें सदस्य देश अनुमोदित कर सकते हैं।

सिफारिशें: ये गैर-बाध्यकारी मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती हैं।

किसी मानक को अपनाए जाने के बाद सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत 12 माह के भीतर उसे अपने सक्षम प्राधिकरण के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करना होता है।

यदि अभिसमय अनुमोदित हो जाता है, तो सामान्यतः वह एक वर्ष बाद उस देश में लागू हो जाता है।

अनुमोदन करने वाले देश उसे अपने राष्ट्रीय कानून और व्यवहार में लागू करने तथा समय-समय पर उसके क्रियान्वयन की रिपोर्ट देने के लिए बाध्य होते हैं।

आवश्यकता होने पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

जिन देशों ने किसी अभिसमय को अनुमोदित किया है, उनके द्वारा उल्लंघन की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रतिवेदन और शिकायत की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के अंतर्गत हुई, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया।
- वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बनी।
- भारत 1919 में, स्वतंत्रता से पहले ही, इसका संस्थापक सदस्य बना।
- इसके 187 सदस्य देश हैं।
- यह श्रम मानकों का निर्धारण करता है, नीतियाँ बनाता है और सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम तैयार करता है।

- यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है, जिसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक तीनों सम्मिलित होते हैं।
- इसका मुख्यालय जिनेवा,स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।

भारत में श्रम कानून

- भारत सरकार ने 2025 से चार श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की है, जिनसे 29 पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाया गया है:
- **वेतन संहिता, 2019**: मजदूरी, बोनस तथा समान पारिश्रमिक को नियंत्रित करती है।
- **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020**: श्रमिक संघ, रोजगार की शर्तें, छंटनी तथा विवाद निपटान से संबंधित है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020**: भविष्य निधि, पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ तथा सेवा-समाप्ति लाभ को एकीकृत करती है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020:** कार्यस्थल की सुरक्षा, कार्य समय, स्वास्थ्य और श्रमिक कल्याण से जुड़े प्रावधानों को समेकित करती है।
- भारत में श्रम कानून संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होते हैं, किन्तु असंगठित क्षेत्र में इनका प्रभावी पालन अभी भी चुनौती बना हुआ है।
- इनके क्रियान्वयन में श्रम और रोज़गार मंत्रालय, राज्य श्रम विभाग तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे निकाय शामिल हैं।

स्रोत: DTE

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसंचरण (AMOC) को स्थिर करने हेतु भू-इंजीनियरी दृष्टिकोण

सन्दर्भ

- यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय (Utrecht University)के एक हालिया अध्ययन में यह जाँच की गई है कि क्या बेरिंग जलडमरूमध्य पर बाँध का निर्माण करके अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसंचरण को स्थिर किया जा सकता है।

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसंचरण (AMOC)

- अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसंचरण (AMOC) एक विशाल महासागरीय धाराओं की प्रणाली है, जिसमें गर्म और लवणीय सतही जल उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, ठंडा होकर अधिक सघन बनता है, उत्तरी अटलांटिक में नीचे धँसता है और फिर गहराई में दक्षिण की ओर लौटता है।
- यह प्रणाली पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ऊष्मा को उच्च अक्षांशों तक पहुँचाती है तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है।
- तापमान और लवणता में भिन्नता, विशेष रूप से पिघलती बर्फ की चादरों से ताजे पानी के प्रवाह के कारण, पानी के घनत्व को कम कर सकती है, डूबने की प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है, और इस प्रकार अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन को धीमा या बाधित कर सकती है।

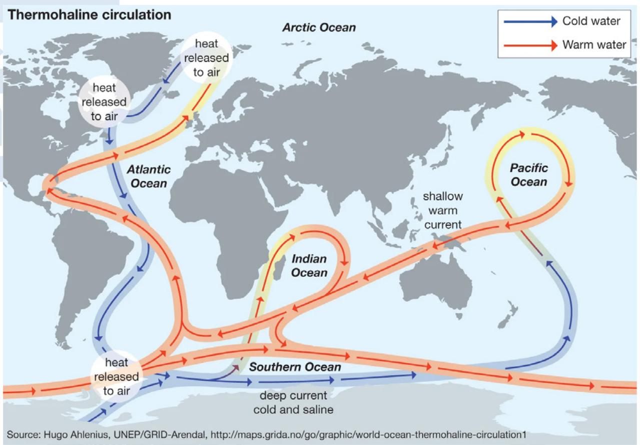

बेरिंग जलडमरूमध्य को बंद करने की प्रक्रिया

- बेरिंग जलसन्धि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है और आर्कटिक क्षेत्र में मीठे जल के प्रवाह की अनुमति देता है।
- महासागरीय धाराओं को बाँध के माध्यम से परिवर्तित करने का विचार 1960 के दशक में प्योत्र मिखाइलोविच बोरिसोव (Petr Mikhailovich Borisov) द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- प्रस्तावित बेरिंग जलडमरूमध्य बाँध तीन भागों में विभाजित है:

- रूस के मुख्य भूभाग और बिग डायोमीड द्वीप के बीच (लगभग 38 किमी),
- बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड के बीच (लगभग 4 किमी) तथा लिटिल डायोमीड और अलास्का के बीच (लगभग 38 किमी)।

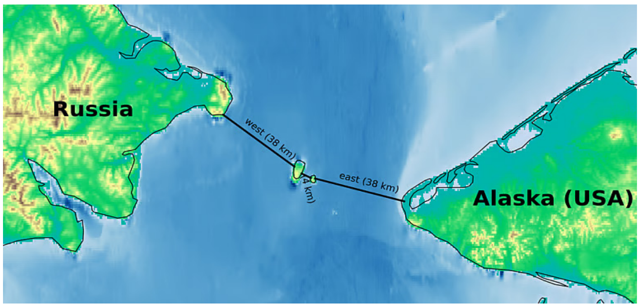

प्रमुख चुनौतियाँ

- **तकनीकी एवं भौगोलिक बाधाएँ**: बेरिंग जलसन्धि लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा है और अत्यंत दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है, जहाँ आधारभूत संरचना सीमित है। ऐसे बाँध का निर्माण और रख-रखाव अत्यधिक कठिन तथा महँगा होगा।
- **पारिस्थितिक प्रभाव**: यह क्षेत्र समुद्री स्तनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवासन मार्ग है। महासागरीय धाराओं और लवणता में परिवर्तन से आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **भूराजनीतिक समस्याएँ**: यह जलडमरूमध्य रूस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच स्थित है। ऐसे में निर्णय लेने के अधिकार और संभावित परिणामों की जिम्मेदारी को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
- **नैतिक चिंताएँ**: यह प्रस्ताव बड़े पैमाने पर जलवायु में जानबूझकर हस्तक्षेप (भू-इंजीनियरी) से संबंधित है।
- इससे अनपेक्षित परिणामों तथा दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों का जोखिम बना रहता है।

आगे की राह

- अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग परिसंचरण (AMOC) पर वैज्ञानिक अनुसंधान को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जिसके लिए बेहतर जलवायु मॉडल, दीर्घकालिक महासागरीय निगरानी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आँकड़ों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- बेरिंग जलडमरूमध्य को बंद करने जैसे भू-इंजीनियरी विकल्पों को केवल प्रायोगिक और अंतिम उपाय के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि प्रदूषण नियंत्रण (निवारण) के विकल्प के रूप में।
- किसी भी बड़े स्तर के भू-इंजीनियरी हस्तक्षेप को वैश्विक शासन ढाँचे, पारदर्शिता तथा प्रभावित देशों की सहमति के आधार पर ही संचालित किया जाना चाहिए।

स्रोत: DTE

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 पर उच्चतम न्यायालय

सन्दर्भ

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 में स्व-पहचान बनाम राज्य सत्यापन तथा कल्याण लक्षित करना बनाम व्यक्तिगत गरिमा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया।

पृष्ठभूमि: भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों का विधिक विकास

नालसा निर्णय, 2014: नालसा बनाम भारत संघ

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तृतीय लिंग' के रूप में मान्यता दी गई।
- बिना चिकित्सकीय हस्तक्षेप के स्व-पहचान के अधिकार को स्वीकार किया गया।
- स्व-निर्णय को एक मूल संवैधानिक मूल्य के रूप में स्थापित किया गया।
- इसे अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) से जोड़ा गया।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम, 2019:

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिभाषा दी गई।
- स्व-निर्धारित पहचान के अधिकार को मान्यता दी गई।
- रोजगार और शिक्षा में भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया।
- परिवार में निवास का अधिकार सुनिश्चित किया गया।
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणन की व्यवस्था लागू की गई।

संशोधन अधिनियम, 2026:

- विधिक मान्यता से पहले चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा प्रमाणन अनिवार्य किया गया।
- स्व-पहचान की स्पष्ट मान्यता को हटाया गया।
- अधिक कठोर परिभाषाएँ और दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे

स्व-पहचान बनाम चिकित्सकीय नियंत्रण:

- यह शारीरिक स्वायत्तता और गरिमा (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करता है।
- राज्य द्वारा 'चिकित्सकीय नियंत्रण' स्थापित करता है, जिससे पहचान की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

दुरुपयोग की आशंका बनाम अधिकारों की सुरक्षा:

- न्यायालय ने कल्याण योजनाओं के लाभ के लिए पहचान के दुरुपयोग की आशंका पर ध्यान दिया।
- किन्तु वास्तविकता में दुरुपयोग की संभावना अत्यंत कम है, जबकि बहिष्करण की समस्या अधिक गंभीर है।

नालसा सिद्धांतों पर प्रभाव:

- वर्ष 2026 का संशोधन स्व-पहचान के सिद्धांत को कमजोर करता है।
- यह जैविक निर्धारणवाद को पुनः स्थापित करता है।
- इसे अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से हटकर नियामक ढाँचे की ओर 'पिछड़ा हुआ कदम' माना गया।

स्वास्थ्य सेवाएँ और परिवर्तन अधिकार:

- यह आशंका व्यक्त की गई कि लिंग-पुष्टि उपचार प्रभावित होंगे।
- भारत में पहले से ही ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित और कलंकित है।

वर्गीकरण और कलंक(stigma):

- जबरन शोषण के पीड़ितों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ शामिल करना मनमाना और कलंकित करने वाला वर्गीकरण है।
- यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन कर सकता है।

आगे की राह

संतुलित दृष्टिकोण:

- लक्षित कल्याण सुनिश्चित करते हुए अधिकारों का उल्लंघन न हो।
- सुरक्षा उपायों (जैसे शपथ-पत्र आधारित प्रणाली) के साथ स्व-पहचान को अपनाया जाए।

संस्थागत सुधार:

- न्यायपालिका, चिकित्सकीय निकायों और प्रशासनिक अधिकारियों में संवेदनशीलता बढ़ाई जाए।

नालसा के अनुरूपता:

- स्व-पहचान को मूल अधिकार के रूप में पुनः स्थापित किया जाए।
- अत्यधिक विनियमन और अपराधीकरण से बचा जाए।

समावेशी नीति निर्माण:

- ट्रांसजेंडर पहचान को जबरन शोषण/तस्करी के पीड़ितों से अलग रखा जाए, ताकि अनावश्यक कलंक से बचा जा सके।

स्रोत: TH

आठ राज्यों में जलाशयों के स्तर में गिरावट

सन्दर्भ

- केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों में देश के 166 जलाशयों और 20 नदी बेसिनों में जल स्तर में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है।

परिचय

- भारत के प्रमुख जलाशयों में जल स्तर कुल क्षमता के 40% से नीचे आ गया है।
- कई जलाशय अत्यंत निम्न या शून्य स्तर तक पहुँच गए हैं;चंदन बाँध पूर्णतः सूख चुका है।
- अधिकांश 20 नदी बेसिन 30% से 60% क्षमता के बीच संचालित हो रहे हैं, जबकि कुछ ही इससे अधिक स्तर पर हैं।
- दक्षिण भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्रीष्मकाल से पूर्व जल संकट की आशंका बढ़ गई है।

- दक्षिण भारत के 36 जलाशय 40% से नीचे हैं, जो देश में सर्वाधिक है।
- समग्र रूप से, आँकड़े जल स्तर में व्यापक गिरावट दर्शाते हैं, विशेषकर दक्षिण और पश्चिम भारत में ग्रीष्मकालीन जल संकट का जोखिम बढ़ रहा है।

जलाशय

- जलाशय वे प्राकृतिक या कृत्रिम भंडारण स्थल हैं जहाँ जल को भविष्य के उपयोग हेतु एकत्रित किया जाता है।
- इनमें नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूजल भंडार, बाँध जलाशय, तालाब और नहरें शामिल हैं।
- ये विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

क्षमता में कमी के कारण

- **गाद जमाव (Siltation):** समय के साथ गाद और मलबे के जमा होने से भंडारण क्षमता घटती है।
- **जलागम क्षेत्र का क्षरण:** वनों की कटाई, खनन और अत्यधिक चराई से मृदा अपरदन बढ़ता है तथा गाद का प्रवाह बढ़ता है।
- **अतिक्रमण और शहरीकरण:** जलाशयों तथा जल आपूर्ति मार्गों पर अवैध कब्ज़ा प्रभावी भंडारण को कम करता है।
- **पोषक तत्व प्रदूषण एवं जलीय खरपतवार:** अत्यधिक पोषक तत्वों के कारण शैवाल और खरपतवार की वृद्धि से स्थान घिर जाता है।
- **जलवायु परिवर्तनशीलता:** अनियमित वर्षा और सूखे की स्थिति जल प्रवाह को घटाती है तथा गाद जमाव को बढ़ाती है।

भारत में जल संकट

- भारत के पास विश्व की 18% जनसंख्या है, जबकि केवल 4% मीठा जल उपलब्ध है।
- विश्व बैंक ने भारत को जल-संकटग्रस्त देशों में शामिल किया है।
- बढ़ती मांग, कुप्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक कई क्षेत्रों में गंभीर जल संकट की आशंका है।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड की वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में भूजल दोहन का औसत स्तर 60.4% है।

जल संकट के प्रमुख कारण

- तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण जल स्रोतों का प्रदूषण बढ़ा है।
- कृषि में अक्षम पद्धतियाँ तथा अत्यधिक भूजल दोहन से जल स्रोतों का क्षय हुआ है।
- जलवायु परिवर्तन से वर्षा का स्वरूप अनियमित हो गया है और जल पुनर्भरण प्रभावित हुआ है।
- जल प्रबंधन की कमी और अपर्याप्त आधारभूत संरचना भी संकट को बढ़ाती है।

भारत में जल शासन

संवैधानिक प्रावधान

- **राज्य विषय: जल मुख्यत:** राज्य सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 17 के अंतर्गत आता है।
- **केंद्र की भूमिका:** अंतरराज्यीय नदियों का विनियमन संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत है।
- **अनुच्छेद 262:** संसद को अंतरराज्यीय जल विवादों के निपटान का अधिकार देता है।

जल शासन से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- **खंडित संस्थागत ढाँचा:** राज्य सूची में होने के कारण राज्यों के बीच अधिकारों का टकराव होता है।
- **अभियांत्रिकी-प्रधान दृष्टिकोण:** नीतियाँ मुख्यत: बाँध, नहर आदि पर केंद्रित रही हैं, जिससे पारिस्थितिक संतुलन की उपेक्षा होती है।
- **कृषि नीतियाँ:** धान और गेहूँ जैसी अधिक जल-आवश्यक फसलों को बढ़ावा देने से भूजल दोहन बढ़ा है।
- **पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोण का अभाव:** भूमि, जल और पारिस्थितिकी के संबंधों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता।
- **कमज़ोर आँकड़ा प्रणाली:** विश्वसनीय और व्यापक जल आँकड़ों की कमी से योजना और प्रबंधन प्रभावित होता है।
- **मांग प्रबंधन की उपेक्षा:** आपूर्ति बढ़ाने पर अधिक ध्यान, जबकि जल उपयोग दक्षता और संरक्षण पर कम ध्यान दिया जाता है।

सरकारी पहल

- **जल शक्ति अभियान (2019):** जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण पर केंद्रित।
- **अमृत (AMRUT) 2.0 योजना:** शहरी क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और जल-सुरक्षित बनाने का उद्देश्य।
- **अमृत सरोवर मिशन:** प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और पुनर्जीवन।
- राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (NAQUIM): जलभृतों की पहचान और प्रबंधन में सहायक।
- **अटल भूजल योजना:** अतिदोहन क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन सुधार हेतु।
- **जल जीवन मिशन (JJM):** प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
  - यह पहल नल के पानी के कनेक्शन के माध्यम से, नियमित और दीर्घकालिक आधार पर, निर्धारित गुणवत्ता वाला पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराती है।

निष्कर्ष

- खंडित और अभियांत्रिकी-प्रधान दृष्टिकोण से हटकर समग्र जल शासन व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता है।
- जल को एक साझा और सीमित संसाधन मानते हुए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वित प्रबंधन आवश्यक है।
- ध्यान आपूर्ति बढ़ाने से हटाकर सततता, दक्षता और समानता पर केंद्रित किया जाना चाहिए।

स्रोत : DTE

आईएमएफ पेपर: भारत में डिजिटलीकरण सुधारों से एमएसएमई की उत्पादकता में सुधार हुआ।

सन्दर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक हालिया कार्यपत्र में यह बताया गया है कि भारत में लोक प्रशासन के डिजिटलीकरण से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की उत्पादकता में सुधार हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के बीच किए गए व्यापारिक परिवेश सुधार मुख्यत: व्यवसाय से जुड़े लोक प्रशासन के डिजिटलीकरण के माध्यम से किए गए।
- इस अध्ययन में सुधारों को छह क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: कर प्रणाली, निर्माण अनुमति, पर्यावरण एवं श्रम अनुपालन, निरीक्षण व्यवस्था, वाणिज्यिक विवाद तथा एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली।
- जिन राज्यों ने इन सुधारों को अधिक लागू किया, वहाँ कुल कारक उत्पादकता अधिक पाई गई।
- डिजिटल साधनों ने प्रशासनिक बोझ को कम किया, विशेष रूप से छोटे उद्यमों के लिए।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)

- एमएसएमई वे उद्यम होते हैं जिन्हें उनके निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर परिभाषित किया जाता है।
- यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह रोजगार सृजन करता है, आय बढ़ाता है तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है।

Rs. in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

- वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे प्रमुख हिस्सा हैं, जो लगभग 90% उद्यमों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 50% से अधिक रोजगार प्रदान करते हैं।

भारत में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान इस प्रकार है:

- लगभग 35.4% विनिर्माण क्षेत्र में
- लगभग 48.58% निर्यात में
- लगभग 31.1% सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में
- देश में 7.47 करोड़ से अधिक उद्यम हैं, जो 32.82 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
- यह क्षेत्र कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है।

भारत में MSME क्षेत्र की चुनौतियाँ

वित्त तक पहुँच की कमी:

- संपार्श्विक (जमानत) की कमी, सीमित ऋण इतिहास और औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुँच के कारण पूँजी प्राप्त करना कठिन होता है।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा:

- बड़े और स्थापित उद्यमों की तुलना में एमएसएमई को संसाधनों और बाजार प्रभाव के कारण अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

तकनीकी ज्ञान की कमी:

- कई एमएसएमई आधुनिक तकनीक अपनाने और उत्पादन प्रक्रियाओं को उन्नत करने में पीछे रह जाते हैं।

विपणन एवं नेटवर्किंग की सीमाएँ:

- सीमित संसाधनों और नेटवर्क के कारण उत्पादों के प्रभावी विपणन में बाधा आती है।

नियामकीय बोझ:

- कर कानूनों, श्रम नियमों और लाइसेंसिंग की जटिलताओं से संचालन कठिन हो जाता है।

कुशल श्रम की कमी:

- प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता सीमित है।

बाह्य कारकों के प्रति संवेदनशीलता:

- महामारी, मुद्रास्फीति और वैश्विक मंदी जैसे झटकों से यह क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है।

MSME को समर्थन देने हेतु प्रमुख पहल

केंद्रीय बजट 2026-27 में एमएसएमई को "चैंपियन" बनाने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

- पूँजी (इक्विटी) सहायता
- तरलता (लिक्विडिटी) सहायता
- व्यावसायिक एवं प्रबंधन सहायता

Equity Support

> Dedicated ₹10,000 crore **SME Growth Fund** to be introduced
> **Self-Reliant India Fund** to be top up with **₹2,000 crore**

Liquidity Support

> More than **₹7 lakh crore** made available to MSMEs with TReDS

Professional Support

> Develop cadre of '**Corporate Mitras**' in Tier-II & Tier-III towns, to help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs

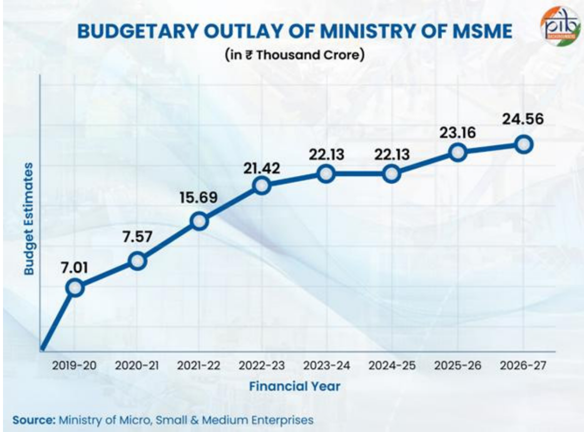

- **पीएम विश्वकर्मा योजना:** 2023 में शुरू की गई यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका संचालन वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना, उनके उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना तथा उन्हें व्यापक बाजारों से जोड़ना है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSMSE):

- यह योजना बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के, सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण के लिए गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है।
- इसका उद्देश्य एमएसएमई को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल:

- 2020 में शुरू किया गया यह पोर्टल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए निःशुल्क, कागज-रहित और स्व-घोषणा आधारित पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):

- यह एक ऋण-संलग्न सब्सिडी योजना है, जो गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देती है।

एमएसएमई हैकथॉन 4.0 (2024):

- यह 500 युवा उद्यमियों को नवाचार और इन्क्यूबेशन के लिए प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एमएसएमई-टीम योजना (2024):

- 277.35 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह व्यापार सशक्तिकरण योजना है।

- इसके अंतर्गत 5 लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (जिनमें 2.5 लाख महिला-नेतृत्व वाले उद्यम शामिल हैं) को डिजिटल पंजीकरण, सूचीकरण, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग में सहायता दी जाती है।

खादी एवं ग्रामोद्योग:

- सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को खादी एवं ग्रामोद्योग विकास योजना (KGVY) के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:

- यह एमएसएमई को वैश्विक बाजारों में प्रवेश कराने में सहायता करती है।
- इसमें अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों और ज्ञान-साझा कार्यक्रमों में भागीदारी को प्रतिपूर्ति आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है।

निष्कर्ष

- एमएसएमई भारत की विकास यात्रा में नवाचार, रोजगार सृजन और स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- मजबूत नीतिगत समर्थन, डिजिटल साधनों और नए बाजारों तक पहुँच के साथ यह क्षेत्र समावेशी और सतत विकास का प्रमुख आधार बनता जा रहा है।

स्रोत : IMF

Forest Rights Act (FRA), 2006

सुर्खियों में क्यों

- हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एक मामले की समीक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत को पुनः स्पष्ट किया।

हालिया मामले के प्रमुख बिंदु

- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जिला स्तरीय समिति (DLC) की आलोचना की, क्योंकि उसने 2021 में वन अधिकार दावों को अस्वीकार करने के लिए वर्ष 2000 के वन मामलों पर उच्चतम न्यायालय का अंतरिम आदेश का आधार लिया था, जबकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 ऐसे पुराने प्रतिबंधों को स्पष्ट रूप से अधिभावी करता है।
- न्यायालय ने कहा कि DLC ने विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया, लेकिन वन अधिकार अधिनियम, 2006 में निर्धारित औपचारिक दंडात्मक प्रक्रिया को लागू नहीं किया। इसके स्थान पर समिति को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया।
- यह मामला वन अधिकार अधिनियम, 2006 और पुराने वन कानूनों/न्यायिक व्याख्याओं के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है।
- कार्यान्वयन में अंतर, न्यायिक असंगति तथा पुराने प्रावधानों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण वनवासी समुदायों के अधिकार प्रभावित होते हैं।
- इसमें विस्थापन से सुरक्षा तथा चराई अधिकार जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उद्देश्य पारंपरिक रूप से वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और अन्य वन-आश्रित समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना और सुरक्षित करना है।
- यह अधिनियम व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार के वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है तथा वन संसाधनों के संरक्षण और आजीविका सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है।

विशेषताएँ

व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकार:

- यह अधिनियम वनवासियों को व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दोनों प्रकार के अधिकार प्रदान करता है।
- इसमें वन भूमि पर खेती करने और निवास का अधिकार शामिल है।
- साथ ही चराई, मछली पकड़ने, जल स्रोतों तक पहुँच तथा लघु वन उपज के उपयोग जैसे सामुदायिक अधिकार भी दिए गए हैं।

विशेष कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के अधिकार:

- यह अधिनियम विशेष रूप से अति कमजोर जनजातीय समूहों, घुमंतू एवं पशुपालक समुदायों को मान्यता देता है।

- इसमें जैव विविधता संरक्षण तथा पारंपरिक ज्ञान से जुड़े बौद्धिक अधिकार भी शामिल हैं।

वन भूमि का आवंटन:

- यह अधिनियम स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना जैसे आवश्यक विकास कार्यों के लिए वन भूमि के सीमित आवंटन की अनुमति देता है।

ग्राम सभा की भूमिका:

- यह अधिनियम ग्राम सभा को सशक्त बनाता है और स्थानीय वन शासन में उसकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करता है।
- ग्राम सभा को वन संरक्षण और जैव विविधता प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी का अधिकार दिया गया है।
- यह बिना उचित पुनर्वास के बेदखली से सुरक्षा प्रदान करता है।
- भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से संबंधित अन्य कानूनों के साथ समन्वय की आवश्यकता भी निर्धारित करता है।

महत्व

ऐतिहासिक अन्याय का सुधार:

- यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन-निवासियों के वन भूमि एवं संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देकर लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का प्रयास करता है।

आजीविका सुरक्षा:

- यह अधिनियम वन उपज पर कानूनी अधिकार एवं पहुँच प्रदान करता है, जो भोजन, ईंधन, चारा तथा आय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विकेन्द्रीकृत शासन:

- यह ग्राम सभा को वन प्रबंधन, संरक्षण और सुरक्षा में अधिकार देकर स्थानीय स्तर पर सहभागितापूर्ण लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है।

संरक्षण के साथ समन्वय:

- यह अधिनियम स्थानीय समुदायों की पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान प्रणाली को शामिल कर सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

सामाजिक न्याय:

- यह कमजोर समूहों के विस्थापन और हाशिए पर जाने से सुरक्षा प्रदान करता है तथा संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और गरिमा के अधिकारों के अनुरूप है।

चुनौतियाँ एवं समस्याएँ

मनमाने दावे अस्वीकार करना:

- कई मामलों में बिना उचित परीक्षण के बड़े पैमाने पर दावों को अस्वीकार किया गया है, और वास्तविक दावेदारों को भी "अतिक्रमणकारी" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

न्यायिक टकराव:

- वर्ष 2019 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभ में उन व्यक्तियों के निष्कासन का आदेश दिया था जिनके वन अधिकार दावे अस्वीकार कर दिए गए थे, जिससे लगभग 18 लाख लोगों पर प्रभाव पड़ सकता था।
- विरोध और जनजातीय मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद इस आदेश पर रोक लगा दी गई और राज्यों को अस्वीकृत दावों की पुनः समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

संस्थागत क्षमता की कमी:

- जिला स्तरीय समितियाँ और राज्य प्राधिकरण अक्सर पर्याप्त संसाधनों और प्रशिक्षण के अभाव में दावों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने में असमर्थ रहते हैं।

संरक्षण बनाम अधिकारों का टकराव:

- वन्यजीव संरक्षण कानूनों और वन अधिकार अधिनियम के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है, विशेषकर बाघ अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में।

आँकड़ों की कमी:

- अस्वीकृत दावों और उनके कारणों से संबंधित विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव जवाबदेही को कमजोर करता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 वन-आश्रित समुदायों को सशक्त बनाता है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कमजोर संस्थागत ढाँचा और विधिक टकराव जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

NEXT IAS

- इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए तथा दावे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। साथ ही, संरक्षण से जुड़े कानूनों को वन अधिकार अधिनियम के अनुरूप स्पष्ट विधिक समन्वय प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- अधिकारियों के क्षमता निर्माण, डिजिटल साधनों के उपयोग तथा समुदाय आधारित संरक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना जैसी योजनाओं से जोड़ा जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, जागरूकता अभियानों को भी मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि वनवासी अपने अधिकारों को प्रभावी रूप से समझ सकें और उनका संरक्षण कर सकें।

स्रोत :TH

संक्षिप्त समाचार

रू-सोम पुल (Ru-Soam Bridges)

सन्दर्भ

- **यूनेस्को ने** सिक्किम सरकार के साथ मिलकर रू-सोम (बाँस/बेत आधारित पुल निर्माण) की स्वदेशी इंजीनियरिंग परंपरा के दस्तावेजीकरण के लिए साझेदारी की है।
- यह परियोजना एयरबीएनबी(Airbnb) के सहयोग से खांगचेंदज़ोंगा (Khangchendzonga) बायोस्फीयर रिज़र्व में लागू की जा रही है।

रू-सोम पुल के बारे में

- रू-सोम पारंपरिक बेत (cane) से बने पुल हैं, जिनका निर्माण लेपचा समुदाय द्वारा किया जाता है।
- इन पुलों के निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक सामग्री जैसे बाँस, बेत और लकड़ी का उपयोग किया जाता है।
- ये संरचनाएँ पर्वतीय क्षेत्रों के अनुकूल उच्च स्तर की पारिस्थितिक समझ और संरचनात्मक मजबूती को दर्शाती हैं।
- वर्ष 2023 में सिक्किम में आई सिक्किम ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड 2023 के दौरान इन पुलों ने अपनी मजबूती और लचीलापन सिद्ध किया।

स्रोत: IE

तंज़ानिया

In News

- हाल ही में भारत–तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति (JTC) का 5वाँ सत्र तंजानिया के दार एस सलाम में आयोजित किया गया।

भारत–तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति (JTC)

यह भारत और तंजानिया के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक द्विपक्षीय मंच है।

इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।

इस प्रकार की समितियाँ नियमित संवाद के माध्यम से व्यापार बाधाओं को दूर करने तथा सहयोग के नए अवसर विकसित करने में सहायक होती हैं।

तंज़ानिया

- यह पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जो भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है।

- इसकी राजधानी डोडोमा है, और दार एस सलाम इसका सबसे बड़ा शहर और मुख्य बंदरगाह है।
- इसकी सीमाएँ उत्तर में युगांडा, केन्या और विक्टोरिया झील से; पूर्व में हिंद महासागर से; दक्षिण में मोज़ाम्बिक, मलावी, ज़ाम्बिया और न्यासा झील से; तथा पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और तांगानिका झील से मिलती हैं।
- **भौगोलिक विशेषताएँ**: माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है,जो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है।
    - तंजानिया में विक्टोरिया झील का भी एक हिस्सा शामिल है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और नील नदी का उद्गम स्थल है।
    - तंजानिया से होकर कई नदियाँ बहती हैं, जिनमें ग्रेट रुहा, रुफिजी और कगेरा नदियाँ शामिल हैं।
    - टांगानिका झील, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो के बीच सीमा बनाती है।

भारत–तंजानिया सहयोग

- भारत और तंजानिया ने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ किया है। वर्ष 2025–26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9.02 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष 8.64 अरब डॉलर था।
- दोनों देशों ने व्यापार तंत्र को बेहतर बनाने, स्थानीय मुद्रा में भुगतान की संभावनाओं की खोज, व्यवसायियों के लिए वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा शुल्क एवं नियामकीय बाधाओं को कम करने पर सहमति व्यक्त की है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- औषधि उद्योग
- स्वास्थ्य सेवाएँ
- खनन
- कृषि
- शिक्षा
- डिजिटल प्रौद्योगिकी

स्रोत : TH

आदर्श आचार संहिता (MCC)

सन्दर्भ

- हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रसारण के बाद यह बहस पुनः तेज हुई कि क्या आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान सार्वजनिक संसाधनों और सरकारी मंचों के उपयोग को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करती है।

आदर्श आचार संहिता क्या है?

- यह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है, जो चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार को नियंत्रित करता है।
- इसका उद्देश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, समान अवसर प्रदान करना तथा राजनीतिक आचरण में नैतिकता बनाए रखना है।

आदर्श आचार संहिता का विकास

- 1960 में इसे पहली बार केरल सरकार द्वारा चुनाव प्रचार को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया था।
- 1968 में इसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया, ताकि पूरे देश में एक समान रूप से लागू किया जा सके।
- 1974 में इसके दायरे का विस्तार करते हुए संशोधन किया गया।
- 1991 में टी. एन. शेषन के कार्यकाल में इसका कड़ाई से पालन शुरू हुआ, जिससे इसकी विश्वसनीयता में वृद्धि हुई।

संवैधानिक एवं विधिक आधार

- आदर्श आचार संहिता कोई विधिक कानून नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 324 से अपनी शक्ति प्राप्त करती है, जो निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का अधिकार देता है।
- इसके कुछ प्रावधानों को अन्य कानूनों के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जैसे:
- भारतीय दंड संहिता, 1860
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
- मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।
- हरबंस सिंह जलाल बनाम भारत संघ में यह निर्णय दिया गया कि आदर्श आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से प्रभावी हो जाती है।

स्रोत: TH

सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरन एसिड पिलाए जाने से बचे लोगों को 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम' के दायरे में लाया

सन्दर्भ

- सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जबरन अम्ल (एसिड) सेवन के पीड़ितों को भी 'अम्ल हमले के पीड़ित' की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आता है।

परिचय

- 2016 के कानून में केवल अम्ल फेंकने (acid throwing) के पीड़ितों को मान्यता दी गई थी, जबरन अम्ल सेवन को इसमें शामिल नहीं किया गया था।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि:

- जबरन अम्ल सेवन करने वाले पीड़ितों को भी 'अम्ल हमले के पीड़ित' माना जाएगा।
- यह प्रावधान अधिनियम के प्रारंभ (2016) से ही पूर्वव्यापी रूप से लागू माना जाएगा।
- इसमें वे सभी मामले भी शामिल होंगे जिनमें आंतरिक क्षति हुई हो, भले ही बाह्य विकृति (visible disfigurement) न हो।
- इस "मान्य मान्यता" (deemed recognition) से ऐसे पीड़ितों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

न्यायालय की टिप्पणी एवं निर्देश

- न्यायालय ने सुझाव दिया कि ऐसे पीड़ितों की सुरक्षा हेतु एक व्यापक नीति ढाँचा तैयार किया जाए।
- क्योंकि जीवित बचे पीड़ितों को दीर्घकालिक और निरंतर चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता होती है।

महत्त्व

- यह निर्णय पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण को मजबूत करता है।
- यह विधिक परिभाषा को विस्तृत कर न्याय और पुनर्वास तक पहुँच को सशक्त बनाता है।
- यह दिव्यांग अधिकारों की समावेशी व्याख्या की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्रोत: TH

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) 2.0 दिशा-निर्देश

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) 2.0 दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण में अच्छे अभ्यासों और नवाचारों पर आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान की गई।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

- यह एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और समुदाय में सभी बच्चों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है।
- इसके अंतर्गत जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की चार प्रकार की स्थितियों की स्क्रीनिंग की जाती है, जिन्हें "4D" कहा जाता है:
- जन्मजात दोष (Defects at birth)
- रोग (Diseases)
- पोषण की कमी (Deficiencies)
- विकास संबंधी विलंब (Developmental delays)
- इस कार्यक्रम में 32 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों की पहचान कर प्रारंभिक उपचार तथा निःशुल्क उपचार एवं प्रबंधन की सुविधा दी जाती है, जिसमें तृतीयक स्तर पर शल्य चिकित्सा भी शामिल है।
- चिन्हित बच्चों को जिला स्तर पर प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ तथा अनुवर्ती देखभाल प्रदान की जाती है।

RBSK 2.0 दिशा-निर्देश

4D दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण:

- इसमें जन्मजात दोष, रोग, पोषण की कमी और विकासात्मक विलंब के साथ-साथ आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ और व्यवहार संबंधी मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

समग्र देखभाल दृष्टिकोण:

- यह रोकथाम, संवर्धन और उपचार तीनों को शामिल करता है तथा जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है।

स्क्रीनिंग एवं पहचान का विस्तार:

- विकासात्मक विकारों, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और गैर-संचारी रोगों के जोखिम कारकों को भी शामिल किया गया है।
- सेवाएँ आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से दी जाएँगी।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली:

- डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, वास्तविक समय डेटा प्रणाली और एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता, दक्षता और साक्ष्य-आधारित निर्णय को बढ़ावा दिया गया है।

अंतर-क्षेत्रीय समन्वय:

- स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास क्षेत्रों के बीच समन्वय को मजबूत किया गया है, जिसमें स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक मंचों के माध्यम से संयुक्त स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।

स्रोत :PIB

हँतावायरस प्रकोप

सन्दर्भ

- हाल ही में अटलांटिक महासागर में एक क्रूज़ जहाज पर संदिग्ध हँतावायरस प्रकोप के बाद तीन यात्रियों की मृत्यु हुई, जिसकी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी।

परिचय

- हन्ता वायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर ज़ूनोटिक रोग (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाला रोग) है। यह हँताविरिडी परिवार का आरएनए वायरस है।
- यह मुख्यतः चूहों और मूषकों जैसे कृंतकों (rodents) द्वारा फैलता है।
- संक्रमण संक्रमित चूहों के मूत्र या मल से उत्पन्न वायुजनित कणों को साँस के माध्यम से लेने से या दूषित सतहों को छूने से होता है।
- मानव से मानव में संक्रमण सामान्यतः अत्यंत दुर्लभ होता है।

रोग के लक्षण

- संक्रमण के बाद 1 से 8 सप्ताह के भीतर सामान्यतः बुखार और थकान जैसे फ्लू-सदृश लक्षण दिखाई देते हैं।
- गंभीर अवस्था में यह फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है, जिसे हँटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहा जाता है।
- इससे श्वसन तंत्र में गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है और यह घातक भी हो सकता है।

उपचार

- इस रोग के लिए कोई विशिष्ट औषधि उपलब्ध नहीं है।
- उपचार मुख्यतः सहायक देखभाल पर आधारित होता है, जिसमें गंभीर मामलों में श्वसन सहायता के लिए वेंटिलेटर का उपयोग शामिल है।

स्रोत: DTE

गिरमिटिया समुदाय

सन्दर्भ

- विदेश मंत्री ने जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की आधिकारिक यात्रा प्रारम्भ की है।
- इन देशों का भारत से विशेष संबंध है क्योंकि वहाँ गिरमिटिया समुदायों की उपस्थिति है।

परिचय

- "गिरमिटिया" वे भारतीय मज़दूर थे, जो 19वीं शताब्दी के मध्य से अंत तक ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने के लिए भारत से गए थे और बाद में वहीं बस गए।
- "गिरमिट" शब्द "एग्रीमेंट" (Agreement) का अपभ्रंश है, जो उनके प्रवासन के अनुबंध को दर्शाता है।
- इन श्रमिकों को मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका जैसे उपनिवेशों में ले जाया गया था।
- इन समुदायों की सांस्कृतिक और भाषाई जड़ें मुख्यतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं, विशेषकर भोजपुरी भाषा एवं परंपराओं से।

स्रोत: AIR